निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 66 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग** के माह 10/2016 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश सिन्हा, श्री संजीव कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक चौधरी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/10/2018 से 03/11/2018 तक श्री ए.के. जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शशांक वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17/10/2016 से 27/10/2016 तक श्री जग मोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2015 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार : विकास खण्ड - कर्णप्रयाग एवं घाट मार्गो एवं सेतुओं का निर्माण एवं रखरखाव ।

(II) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2016-17	-	-	341.04	341.04	651.80	651.79		.01
2017-18	-	-	377.30	377.30	414.08	414.08		-
2018-19(8/2018 तक)	-	-	295.02	185.14	158.20	117.83		109.88 67.37 177.25

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(III) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार ENC/PWD द्वारा किया जाता है।

(IV) इकाई की श्रेणी ...... है।

(V) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 , 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। घाट सुतोल-कनोल हलारा वाहन मोटर मार्ग (0-21 किमी, 21-30 किमी) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन Maximum expenditure during audit के आधार पर किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

(डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा ......13........., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक (उत्तर नहीं दिया) निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 03/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` 1902104 /-

   भाग द्वितीय ` 77400 /-
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 8345744 /-
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 47902322 /-
(ङ)	भण्डार	` 3798027 /-

भाग-2 (ब)

प्रस्तर (1):- वित्तीय नियम एवं शासनादेश के विपरीत विभागीय प्राप्ति, कोषागार से राशि को आहरित कर सार्वजनिक बैंक में पार्क किए जाने के कारण एवं बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को कोषागार में प्रेषित नहीं किए जाने के कारण शासकीय निधि का अवरुद्ध रहना:- `1.05 करोड़ ।

Rule 21 of the General Financial Rule pertainng to Standards of financial propriety provides that every officer incurring or authorizing expenditure from public moneys should be guided by high standards of financial propriety. Every officer should also enforce financial order and strict economy and see that all relevant financial rules and regulations are observed, by his own office and by subordinate disbursing officers. The sub-rule (ii) of the rule-21 provides that the expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. Further, Rule-21 of Financial Hand Book volume-V (FHB-vol-5) provides that, Under Treasury Rule 7(1), all moneys as defined in articles 266, 267 and 284 of the Constitution, received by or tendered to Government servants in their official capacity shall, without undue delay be paid in full into the treasury or into the Bank and shall be included in the Government Account. Rule 22-B of FHB-vol-5 provides that, under Rule 9 of the Treasury Rules, a government servant may not, except with the special permission of the Government, deposit in a bank moneys withdrawn from the Government Account under the provisions of Section VII of the Treasury Rules (Appendix II).

प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के रोकड़ बही के जांच के दौरान यह पाया गया कि खण्ड द्वारा मार्च 2006 से भारतीय स्टेट बैंक, कर्णप्रयाग में बचत खाता संख्या- 11286872372 का संधारण किया जा रहा था जिसमे वर्तमान (31 अक्तूबर 2018) तक `1,05,49,443.34 की राशि जमा थी। इस खाते में कोषागार से मुआवजा के भुगतान के लिए निकाली गयी अवितरित राशि का प्रेषण किया जाता रहा है। इसके साथ ही अन्य विभागीय प्राप्तियों को भी इस खाते में भी प्रेषित किया जाता रहा है जिसका सत्यापन प्रेषण-प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका था परंतु खण्ड द्वारा इस तथ्य को अपने उत्तर में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही, इस खाते में `2,19,047.12 की राशि ब्याज के रूप में बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया था परंतु इस राशि को कोषागार में प्रेषित नहीं किया जा सका था और यह वर्तमान में बैंक खाते में ही पड़ा है।
इस संबंध में यह विदित है कि उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 99/XXVII (14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर 2009 कोषागार से आहरित सरकारी निधि को बैंक में रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है और बैंक में park किए गए राशि को ब्याज सहित, यदि है तो, कोषागार में प्रेषित कर देना चाहिए। यदि फिर भी आवश्यक हो तो कोषागार में Personal Ledger Account को खोलकर उसमे राशि को जमा किया जाना चाहिए तथा उसमे से व्यय किया जाना चाहिए।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा बतलाया गया कि उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुपालन में शासकीय निधि को बैंक खाते में रखा गया था परन्तु किस नियम के अंतर्गत यह कार्य किया गया था, के संबंध में कुछ भी नहीं बतलाया गया था। विभागीय प्राप्तियों एवं ब्याज के संबंध यह बतलाया गया कि इन मदों में राशि की गणना कर कोषागार में प्रेषित किया जाएगा।

खण्ड का उत्तर बिलकुल भी मान्य नहीं है क्योंकि शासकीय निधि को बैंक खाते में रखने का मूल कारण मुआवजे की राशि का अवितरित रहना था। पुनः विभागीय प्राप्ति एवं क्रेडिट हुए ब्याज को कोषागार में प्रेषित नहीं किया जाना भी वित्तीय नियम एवं शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर 2009 की भी अवहेलना है।

भाग –2

प्रस्तर 2 – कार्य के अनुबन्ध एक साथ गठित न करने एवं कार्य को टुकडों में बाँट कर कराने के कारण रू. 12.78 लाख का परिहार्य व्यय एवं ₹ 24.43 लाख अनुपयोगी व्यय ।

जनपद चमोली के अन्तर्गत घाट सुतोल कनोल हल्का वाहन मोटर मार्ग के किमी0 0.00से 21.00 तक चौड़ीकरण एवं डामरीकरण तथा किमी0 22 से किमी0 30.10 तक के नवनिर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 1904.66 लाख की शासनादेश दिनांक 24.12.2011 के द्वारा प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता (गढवाल क्षेत्र) पौडी द्वारा रू० 1564.47 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी, (07.06.2012) अवशेष धनराशि रू० 340.19 की तकनीकी स्वीकृति बाद में प्रदान की गयी थी, (09/2016) । निर्माण कार्य हेतु विभिन्न अनुबन्ध गठित किये गये थे ।

अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि खंड द्वारा कार्य की एक ही स्वीकृति होने के बावजूद कार्य हेतु विभिन्न अनुबंध गठित किये गए थे तथा कुछ अनुबंध बाद में गठित किये गए थे। जो अनुबंध बाद में गठित किये गए थे उनमे SOR की दरें बढ़ जाने के कारण ₹ 12.78 लाख (संलग्न विवरणानुसार) व्यय अधिक (लेखा परीक्षा को जो भी अभिलेख प्रस्तुत किये गए उनके अनुसार) करना पड़ा था, इसके अतिरिक्त खंड द्वारा बाद में अगले वित्तीय वर्षो में भी कार्य की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य करना जारी रखा गया (जिससे सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गए) एवं उक्त कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक लगभग 07 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अपूर्ण था ।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि कार्य के सापेक्ष खंड द्वारा माह 09/2018 के फ़ार्म 64 में ₹17.90 करोड़ दर्शाया जा रहा था जबकि लेखापरीक्षा को जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए उनके अनुसार 9.68 करोड़ ही व्यय हुआ था, अवशेष धनराशि ₹8.22 करोड़(17.90 - 9.68) कब कब एवं किन मदों पर व्यय किया गया अभिलेखों के अभाव (अप्रस्तुतिकरण) में लेखा परीक्षा में यह विश्लेषित (analysis)/स्पष्ट नहीं हो सका ना ही खंड द्वारा यह अंतर स्पष्ट किया गया ।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि कार्य की स्वीकृत धनराशि से 1983 maxfalt drums कीमत ₹141.22 लाख (@ ₹7122/ प्रति ड्रम)एकमुश्त ख़रीदे गए थे (वर्ष 2014-15) जिनमे से 343 maxfalt ड्रम कीमत ₹ 24.43 लाख (343 @ 7122/-) वर्ष 2014-15 से ही नन्द प्रयाग स्टोर में अनावाश्यक रूप से पड़े हुए थे जो एक अनुपयोगी व्यय था ।

प्रकरण इंगित करने पर खंड द्वारा उत्तर में बताया कि अधिक से अधिक लोगो को रोजगार देने के लिए कार्य को टुकडो में बाँट कर किया गया । फ़ार्म 64 में दर्शाए गए व्यय एवं प्रस्तुत अभिलेखों

के अनुसार व्यय में अंतर के बारे में उत्तर में बताया कि अंतर से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया गया है एवं अवशेष अभिलेख आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे । कार्य का अनुबंध वर्टीकल टेंडर के सापेक्ष होने के बावजूद कार्य की स्वीकृत धनराशि से maxfalt क्यों ख़रीदा गया इसके बारे में खंड द्वारा विरोधाभासी उत्तर दिया गया ।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा एक ही ठेकेदार के साथ 2-2 अनुबंध गठित किये गए थे, व्यय के अंतर के कारण के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया है ना ही इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत किये गए है । कार्य का अनुबंध वर्टीकल टेंडर के सापेक्ष होने के बावजूद maxfalt क्यों ख़रीदा गया इसके बारे में खंड द्वारा विरोधाभासी उत्तर दिया गया साथ ही ₹ 24.43 लाख के maxfalt ड्रम स्टोर में विगत लगभग 05 वर्षो से अनुपयोगी पड़े हुए थे ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1 :– **महालेखाकार कार्यालय को विगत दो वर्षो से अधिक समय से फार्म- 51 प्रेषित** न किया जाना।

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडो द्वारा प्रत्येक माह के दौरान सम्बंधित कोषागार को किये प्रेषण(remittances) एवं जारी किये गए चेको (cheques) तथा उनके सापेक्ष कोषागार द्वारा encashed cheques का विवरण फार्म-51 में भरकर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि., कर्णप्रयाग, चमोली के फार्म 51 से सम्बंधित पत्रावली की नमूना जाँच में पाया गया कि खंड द्वारा माह मार्च 2016 के पश्चात से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), को फार्म- 51 प्रेषित नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त माह मार्च 2016 के फार्म 51 के भाग एक एवं दो के विवरणों में जो अंतर था वह वर्तमान तक समायोजित था या नहीं यह स्पष्ट नहीं था । कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), फार्म- 51 प्रेषित नहीं किया जाना अपने आप में वित्तीय अनियमितता है । इसके अतिरिक्त प्रेषित फार्म- 51 (03/2016) की जांच में यह भी पाया गया की भाग एक एवं दो के विवरणों के अतिरिक्त दिए गए अन्य विवरणों में ₹ 23.02 लाख के चेक असमायोजित थे एवं ₹4.00 लाख के चेक (जो ऋणात्मक दर्शाए जा रहे थे) जो वर्तमान में समायोजित हो चुके थे या नहीं स्पष्ट नहीं थे। मार्च 2016 के पश्चात फार्म- 51 प्रेषित नहीं किया जाने के कारण माह के दौरान के या पूर्व में या आगे के खंड द्वारा कोषागार में प्रेषित remmitance या जारी किये गए चेक कोषागार द्वारा acknowledge किये गए थे अथवा नहीं और क्लियर हुवे थे या नहीं स्पष्ट नहीं हो सके ।

इसे इंगित किये जाने पर खंड ने उत्तर मे बताया गया कि शीघ्र ही फार्म- 51 प्रेषित किया जाना प्रारम्भ कर दिया जाएगा। खंड द्वारा आगे बताया गया की विवरणों का अंतर समायोजित हुआ है या नहीं एवं विगत uncashed चेक तथा ऋणात्मक धनराशि (चेक) clear हुआ या नहीं इस के बारे में जांच करके अवगत करा दिया जाएगा । खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि खंड द्वारा प्रत्येक माह सम्बंधित कोषागार को किये प्रेषण (remittances) एवं जारी किये गए चेको (cheques) का विवरण फार्म-51 में भरकर कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित ना किया जाना वित्तीय अनियमितता है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
47/1196-97	1	2,3,4,5
17/1997-98	-	1
126/1999-2000	-	1
05/2000-01	-	3
46/2001-02	01	02
36/2003-04	01	1
34/2004/05	-	1
62/2006-07	1,2,3,4	01
42/2008-09	1,2,3	1,2,3
12/2010-11	1,2,3	1,2,3,4
58/2012-13	01	-
03/2014-15	-	1,2,3
93/2015-16	1,2	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुति कराकर महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जाएगी। अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है**। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   घाट-सुतोल-कनौल निर्माण कार्य के तीन अनुबन्धो को छोड़ कर अन्य समस्त अनुबंध एवं संबन्धित सभी अभिलेखों एवं फार्म-64 में दर्शाये गए व्यय तथा कुल व्यय का अंतर संबंधी अभिलेख।

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी	अधिशासी अभियंता
(2)	श्री दीपक कुमार	अधिशासी अभियंता
(3)	श्री अशोक कुमार नैथानी	अधिशासी अभियंता (17/11/2017 से अब तक)
(4)	श्री पी.सी. जोशी	अधिशासी अभियंता (कार्यवाहक) (09/06/18 से 01/07/2018)

3. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।**

   (1) श्री रामपुकार चौरसिया 07/07/2015 से 10/08/2018 तक।

   (2) श्री नितिश कौशिक 30/07/2018 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कौलागढ़,देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2